न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 30 / 2019

उनवान

1. परमेश्वर पुत्र उगमा जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. रामदेव पुत्र चोथू जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 जरियें राज0 पैरोकार
3. भागचन्द पुत्र उगमा जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
4. रामधन पुत्र उगमा जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
5. सांवरा पुत्र उगमा जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 3 से 5 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राज0 अधि0 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 13.10.20

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खाता संख्या 261 / 262 किता 10 रकबा 2.84 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 5415 रकबा 0.18 की आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। खसरा नम्बर 5417 व 5416 जो कि सिवायचक भूमि है खसरा नम्बर 5415 के समीप ही स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त सिवायचक आराजी पर भी कब्जा करने पर आमादा है। अतः खसरा नम्बर 5415 की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 5415 के समीप अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5417 व 5418 है खसरा नम्बर 5417 व 5418 के रकबे को कम करते हुये सिवायचक खसरा नम्बर 5416 मे अंकन कर दिया है। उक्त आराजी को हडपने के लिये प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जवाबकर्ता द्वारा राजस्व वाद संख्या 83 / 15 दिनांक 29.07.15 को प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 31.07.15 को सिवायचक खसरा नम्बर 5416 से उक्त प्रार्थी को बेदखल करने व अतिक्रमण निर्माण नही करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

का आदेश पारित किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 5 की खातेदारी में दर्ज है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दखल करने का कथन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। उक्त दोनो आराजी एक ही सीमा पर स्थित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा पूर्व में उक्त आराजी के सीमाज्ञान की क्या कार्यवाही की इस बाबत स्थिति स्पष्ट नही की है। पत्थरगढी से पूर्व आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान नही हुआ है। प्रार्थी अपनी आराजी की सीमा की जानकारी विधिवत सीमाज्ञान करवाकर प्राप्त कर सकता है। उभयपक्ष नियमानुसार अपनी–अपनी आराजी का सीमाज्ञान कराने हेतु स्वतंत्र है। विवाद होने की स्थिति में उभयपक्ष पत्थरगढी का आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested